भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 04/07/2018

File No. Meeting/Baloda BZR/2018/RU-III

सेवा में,

जिला कलेक्टर,
जिला बलौदा बाज़ार – भाटापारा,
भाटापारा, छत्तीसगढ़

विषयः दिनांक 12–02–2018 को माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला कलेक्टर, बलौदा बाज़ार के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 12–02–2018 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एंवम आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ।
2. एस .ए.एस, एन.आई.सी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. Meeting/Baloda BZR/2018/RU-III

बलौदा बाजार– भाटापारा जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीनों के क्रय–विक्रय भू–अर्जन, विस्थापन एवं सीमेंट उद्योग द्वारा जमीन क्रय करने बाबत हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न 'क'

उपरोक्त मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिला कलेक्टर, बलौदा बाजार– भाटापारा, छत्तीसगढ़ के साथ दिनांक 12.02.2018 को बैठक आहूत की जिसमें जिला कलेक्टर बलौदा बाजार चर्चा हेतु उपस्थित हुए ।

आयोग ने जिला कलेक्टर से यह जानना चाहा कि क्या जिला बलौदा बाजार– भाटापारा में भू–माफियाओं द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन बड़े पैमाने पर गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेची गई है ? आयोग यह जानना चाहता है कि इन अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को बेचने की स्वीकृति क्या राज्य सरकार ने दी थी, या किस दबाव के अंतर्गत जमीन को हस्तांतरण किया गया ? जब यह जमीनें बेची गईं तो क्या उसका उचित मुआवजा अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया गया ?

जिला कलेक्टर ने आयोग को यह बताया कि बलौदा बाजार– भाटापारा वर्ष 2012 में जिला बना था । इस जिले में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि बिक्री मंजूरी राज्य सरकार के राजस्व विभाग से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) के अंतर्गत हुई थी जिसमें राज्य सरकार के राजस्व विभाग की रिपोर्ट तथा भू अर्जन अधिनियम की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा गया था । राज्य सरकार का निर्देश था कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पास कम से कम 5 से 10 एकड़ जमीन बची रहना चाहिए थी । जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया में जो परिवार प्रभावित हुए हैं और जिनकी जमीन ली गई है उनको कंपनी द्वारा जमीन खरीद कर देने का भी प्रावधान था ।

आयोग ने यह भी जानना चाहा कि कुल मिलाकर इसमें कितने अनुसूचित जनजाति के परिवार प्रभावित हुए हैं । जिला कलेक्टर अपनी पूरी टीम लगाकर रिकॉर्ड की जांच करवा कर उसकी जानकारी आयोग को दें । जिन परिवारों की जमीन क्रय की गई है उनको उचित मुआवजा देने के साथ नौकरी दी गई है या नहीं इसकी भी जानकारी दें ।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिला कलेक्टर ने आयोग को यह बताया कि जो जमीन सीमेंट कंपनी को दी गई थी उसके बीच में अनुसूचित जनजाति के लोगों की भी कुछ जमीन आई थी जिसको देना जरूरी था जिसके लिए उनकी सहमति ली गई थी । यह मामला काफी पुराना है जिसमें लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं तथा उन सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है । कंपनी द्वारा यथासंभव स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया । जहां तक मंदिर के निर्माण तथा सामुदायिक तालाब का मामला है, इसे जिला प्रशासन द्वारा सुलझा लिया गया है ।

जिला कलेक्टर ने आयोग को यह बताया कि अंबुजा सीमेंट द्वारा 600 एकड़ जमीन क्रय की गई है । माइनिंग लीज सन 1981–82 के बाद अंबुजा सीमेंट के विस्तार के लिए इस भूमि की आवश्यकता थी । कंपनी ने गैर आदिवासी व्यक्ति से संपर्क कर एवं उसकी सहमति के पश्चात ही भूमि क्रय की जिसके लिए शासन के गाईड लाईन मूल्य से अधिक राशि पर आवश्यकतानुसार भूमि क्रय कर उसका भुगतान किया जा चुका है । आदिवासी कृषकों की लगभग 20 एकड़ भूमि उनके आवेदन पर कलेक्टर की मंजूरी एवं क्रय की गई भूमि के प्रतिफल के आधार पर की गई है जिसे कृषकों ने सहर्ष स्वीकार किया है ।

आयोग की अनुशंसाएँ :–

इस संबंध में आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुशंसाएँ की जाती है :

1. जिला बलौदा बाजार– भाटापारा में अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि अनुचित ढ़ंग से लिए जाने के मामले में सर्तकता बरती जाए ।
2. भूमि बेचने की अनुमति केवल राज्य सरकार की होना चाहिए क्योंकि यह लोग किसी मजबूरीवश ही अपनी जमीन बेचने पर सहमत होते हैं ।
3. जिले में अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों की भूमि गैर अनुसूचित जनजातियों को हस्तांतरित की गई है, कितनी जमीन सीमेंट व अन्य उद्योगों को दी गई है, प्रभावितों को कितना मुआवजा मिला है, कितने कृषकों को जमीन के बदले रोजगार उद्योगों द्वारा दिया गया है, रोजगार स्थाई है या अस्थाई आदि की हर अनुभाग की ग्रामवार जानकारी संकलित कर कलेक्टर स्वतः प्रथमतः समीक्षा करें और संपूर्ण तथ्यों से आयोग को अवगत करायें।

28.6.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट 'क'

File No. Meeting/Baloda BZR/2018/RU-III

विषयः–बलौदा बाजार– भाटापारा जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीनों के क्रय–विक्रय भू–अर्जन, विस्थापन एवं सीमेंट उद्योग द्वारा जमीन क्रय करने बाबत हुई बैठक का कार्यवृत्त । दिनांक 12.02.2018 को 04.00 बजे हुई बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपस्थिति ।

क्र.सं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
2. श्री एच.के.डामोर, माननीय सदस्य
3. श्री राघव चन्द्रा, सचिव
4. श्री एस. के. रथ, संयुक्त सचिव
5. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
6. श्री डी.सी.कटोच, परामर्शक

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी

1. श्री राजेश सिंह, कलेक्टर बलौदा बजार (छ.ग.)